झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

संºसंº–8/जºसंº(निº) ग्राº–08–21/2017 ..../राँची, दिनांक : ....

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि .श्री विजय कुमार सिंह (ID-J8913) ने जबकि वे ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार में कनीय अभियंता के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है, जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेखित है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री श्री विजय कुमार सिंह के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–16 एवं 17 के अन्तर्गत विहित नीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री विजय कुमार सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री अमरेश कुमार, तकनीकी सलाहकार, लघु सिंचाई अंचल, राँची, विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग करने के लिए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि वे संकल्प की एक प्रति अनुबंध के साथ श्री अमरेश कुमार, तकनीकी सलाहकार, लघु सिंचाई अंचल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार/ श्री विजय कुमार सिंह, कनीय अभियंता, ग्राº+पोº–आट, भाया–परवलपुर, जिला–नालन्दा (बिहार) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

हº/–

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –../राँची, दिनांक– ....

प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति के साथ श्री अमरेश कुमार, तकनीकी सलाहकार, लघु सिंचाई अंचल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार/ श्री विजय कुमार सिंह, कनीय अभियंता, ग्रा०+पो०–आट, भाया–परवलपुर, जिला–नालन्दा (बिहार) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजेंगे।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –......3637../राँची, दिनांक– ....10/7/19....

प्रतिलिपि : उपायुक्त, लातेहार/अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा–03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.7.19

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।